

असाधारण सामान्य बैठक की नोटिस

Notice for Extraordinary General Meeting



मुंबई में मंगलवार, 26 जून, 2012 को सुबह 10.30 बजे
Tuesday, June 26, 2012 at 10.30 a.m. at Mumbai

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.
निवेशक सेवा प्रभाग : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Head Office : 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Investor Services Division : 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Your dreams are not yours alone

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with

विषय सूची / CONTENTS

	पृष्ठ क्रमांक/ Page No.
सूचना	1
सूचना के नोट	1-3
व्याख्यात्मक विवरण	4-5
निदेशकों का निर्वाचन - संबंधित अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि के उद्धरण	6-10
NOTICE	11
NOTES TO NOTICE	11-13
EXPLANATORY STATEMENT	14-15
ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEMES AND REGULATION ETC	16-20
नामांकन प्रपत्र	21
NOMINATION FORM	22
घोषणा पत्र	23
DECLARATION FORM	24
घोषणा एवं वचन पत्र	25, 27
DECLARATION AND UNDERTAKING FORM	26, 28
परोक्षी फार्म	29
PROXY FORM	30
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र	31
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS	32

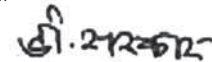
सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, 26 जून, 2012 को प्रातः 10.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के सी कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) "अधिनियम" 1970 (इसमें इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3) (i), बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (इसके बाद इसे "विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पठित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसमें इसके बाद इसे "योजना" के रूप में संदर्भित किया है) के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी.सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 (इसमें इसके बाद इन्हें "भारिबैं अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसरण में निम्न लिखित संकल्प पारित करके ऐसे तीन शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करना, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हों.

संकल्प पारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में शेयरधारकों में से ऐसे तीन चुने गये शेयरधारक निदेशक एतद्वारा बैंक के निदेशक नियुक्त किये जाते हैं और वे 27 जून, 2012 से अपना कार्य संभालेंगे तथा निदेशक के रूप में कार्य संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(डी सरकार)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 23 मई, 2012

नोट :

1. बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है. विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी लिखत प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा जिसके लिये उसने परोक्षी लिखत प्रदान कर दिया हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् गुरुवार, 21 जून, 2012 की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग में अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग में असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पूर्व अर्थात् गुरुवार, 21 जून, 2012 की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र सह मतदान पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र सह मतदान पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है, शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी/ प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिये मतदान पत्र पास का हिस्सा बैठक स्थल पर दे दिया जाय।

5. कट ऑफ तारीख :

दिनांक 16 मई, 2012 के समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस दिनांक 15 मई, 2012 में घोषित किये गये अनुसार चुनाव में भाग लेने अर्थात् नोटिस में किये गये उल्लेख के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये तीन निदेशकों के चुनाव के लिये नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट डालने के, पात्र शेयरधारकों के नाम तय करने के लिये कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, दिनांक 25 मई, 2012 होगी।

6. शेयरधारकों की सूची :

शेयरधारकों को चुनाव में भाग लेने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स तथा बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 64 में बताए अनुसार शेयर धारकों की कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 25, मई 2012 की सूची की प्रति निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में शनिवार 04 जून, 2012 के बाद शेयरधारकों द्वारा इस उद्देश्य से किये गये आवेदन के साथ **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** को मुंबई में देय ₹ 50,000/- के मांग ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

7. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवस (रविवार और बैंक अवकाशों को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार में दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर की प्रति या कम्प्यूटर प्रिंट या इसका कोई अंश प्राप्त करना चाहता है तो ₹ 5/- प्रति 1000 शब्द की दर से पूर्व भुगतान पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

8. चुनाव में सम्मिलित होना

जिन शेयरधारकों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा 25.5.2012 को शेयरधारकों/लाभग्राही स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट डालने के पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार कट ऑफ तिथि अर्थात् 25.5.2012 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट और चुनाव होने पर अधिनियम की धारा 3(2ई) में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देगा।

9. नामांकनों की वैधता

विनियम 65 के अनुसार और डीबीओडी बीसी. नं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23, मई 2011 तथा विविध अधिनियमों के लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुने जाने के लिये उसी उम्मीदवार का नाम वैध होगा यदि;

ए) वह निर्वाचन में भाग लेने के लिए कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 25 मई, 2012 को बैंक के कम से कम 100 शेयर रखने वाला शेयरधारक हो,

बी) उसे सोमवार 11 जून 2012 (नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि) तक अधिनियम/विनियमन अधिनियम/स्कीम/विनियम /भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य घोषित न किया गया हो,

सी) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों के हस्ताक्षर नामांकन पर होने चाहिए अथवा इन शेयरधारकों के विधिवत् नियत अटर्नी के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि ऐसे किसी शेयरधारक द्वारा नामांकन किया जाता है जो कोई कंपनी हो तो वह उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाना चाहिए और जहां ऐसा किया गया हो वहां पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के कंपनी सेक्रेटरी, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को इस कंपनी के द्वारा किया गया नामांकन माना जाएगा।

डी) शेयरधारकों (कम से कम 100) द्वारा किये गये नामांकनों के साथ इस नोटिस में नामांकन और घोषणा के नमूना फार्म में के अनुसार किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एज्योरेंस के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहता है और उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना अथवा विनियम के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ई) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियम में दिये गये हैं और संलग्न प्रोफार्म के अनुसार हैं। (यह प्रोफार्म बैंक की वेबसाइट, www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है।)

10. नामांकन फार्म जमा करना :

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक

क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र

ख) चुनाव में भाग लेने के पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा नामांकन

ग) संबंधित दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों यथा बायोडाटा, शैक्षिक अर्हता और अनुभव के प्रमाणपत्र आदि के साथ के साथ व्यक्तिगत जानकारी, नोटिस के साथ संलग्न फार्मेट में घोषणा और वचनपत्र।

एक सीलबंद लिफाफे में संबंधित दस्तावेजों अर्थात प्रमाणपत्र आदि ईजीएम के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात सोमवार 11 जून, 2011 को अपराह्न कार्य समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे तक या उसके पूर्व कंपनी सचिव, निवेशक सेवा प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 को मुहरबंद लिफाफे में और "शेयरधारक निदेशक - ई जी एम 2012" लिखकर प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

11. नामांकन की जांच :

- (i) नामांकन की जांच नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के आगामी प्रथम कार्य दिवस मंगलवार 12 जून, 2012 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसके कारण को अभिलिखित करने के बाद उसे रद्द किया जाएगा।
- (ii) नामांकन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार उनके फिट और प्राप्ति होने की जांच बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।
- (iii) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए केवल तीन वैध नामांकन होते हैं, तो नामित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और डाक पत्तों को निर्वाचित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसा होने पर बैठक रद्द कर दी जायगी तथा उम्मीदवार 27 जून, 2012 को पद ग्रहण कर लेंगे।
- (iv) यदि चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकन अधिक होंगे तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे और बहुमत प्राप्त उम्मीदवार निर्वाचित होंगे तथा उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जायगी तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। वे 27 जून, 2012 को कार्य ग्रहण करेंगे।
- (v) कोई विवाद होने पर उसे विनियमावली के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

12. नामांकन का वापस लेना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह सोमवार, 25 जून, 2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे से पूर्व किसी समय ऐसा करने के लिए पात्र होगा।

13. वोट देने का अधिकार :

अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार इस समय, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, संपर्की नए बैंक का कोई शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 1% से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने के अधिकार का उपयोग करने का अधिकारी नहीं होगा। यह नोटिस जारी होने के बाद अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार वोट देने के अधिकारों में परिवर्तन होने पर

वोटिंग अधिकार की गणना, बैठक की तिथि को लागू अधिनियम के अनुसार की जायगी।

उपरोक्त के अधीन विनियम 68 के अनुसार कट ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 25 मई 2012 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट देने और मतदान होने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा।

विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा वह, वोट देने के लिये उसका अकेला धारक माना जायगा।

14. 26 जून 2012 को मतदान की प्रक्रिया :

निदेशकों का चुनाव हाथ उठाकर नहीं किया जायगा, अपितु गुप्त मतदान के माध्यम से संपन्न होगा।

मतदान पत्र जारी करने का कार्य, इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद आरंभ होगा और अप. 1.30 बजे तक जारी रहेगा। शेयर धारकों/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपत्र इस कार्य के लिये बनाये गये काउंटरो पर, पंजीकरण के समय दिये गये मतपत्र देने पर दिया जायगा। वोटों की संख्या अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अनुसार अधिकतम संख्या की सीमा के अधीन उनके द्वारा 25 मई, 2012 को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयर धारक मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के समक्ष खर की मोहर x लगाकर और उनको मत पेटी में डालकर अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

इसके बाद वोटों की गणना की जायगी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा परिणाम घोषित किया जायगा।

15. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस की अपनी प्रति साथ में लाएं।

16. शेयरधारक से अनुरोध

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते / ई मेल पते / बैंक के ब्यौरों / ईसीएस आदेश में कोई परिवर्तन हों तो उसे निम्नलिखित पते पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें

डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लिमिटेड

प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी,

क्रास लेन, एमआईडीसी, मरोल

अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400 093

टेली : (022) 66712151-60

फैक्स : (022) 66712230

ई मेल : ubiinvestors@dfssl.com

व्याख्यात्मक विवरण

तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

● निदेशकों के चुनाव में शेयर धारकों के अधिकार

बैंक में जनता की शेयरधारिता 45.65% है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक को केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से 3 निदेशकों का चुनाव करना है।

दिनांक 22 जून, 2009 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से 3 निदेशकों अर्थात् श्री अरुण कुमार नंदा, श्री एस रवि और श्री एम एस श्रीराम चुने गये थे। श्री अरुण कुमार नंदा ने 28 नवंबर 2011 को त्यागपत्र दे दिया था और श्री एस रवि और श्री एम एस श्रीराम का कार्यकाल 22 जून, 2012 को पूरा होगा।

अतएव ऊपर बताये अनुसार रिक्तियों को भरने के लिये शेयरधारक (केंद्र सरकार के अतिरिक्त), संबंधित अधिनियम, स्कीम, विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना में दी गयी प्रक्रिया, जिनके संबंधित अंश नीचे दिये गये हैं, के अनुसार अपना नामांकन भेजने के अधिकारी हैं:

अधिनियम, स्कीम, विनियम और अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 20	➤ किसी निदेशक को या उसके लिये ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए)(ए) से (सी) धारा 9 (3एए) धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13 (2)	➤ वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयर धारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिये उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रेक रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडों पर खरा (फिट और प्रापर) नहीं उतरता है. ➤ धारा 9 (3ए) व धारा 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले चुने गये निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार ➤ गोपनीयता व निष्ठा का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) स्कीम, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	➤ चुने गये निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं ➤ निदेशक पद खाली होना ➤ चुने गये निदेशक को हटाया जाना. ➤ चुने गये निदेशक की रिक्ति को भरा जाना ➤ अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा अपने हितों का प्रकटन
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 61 ए विनियम 61 बी विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➤ आम बैठक में वोट डालना ➤ चुनाव में परीक्षक ➤ चुनाव का तरीका और परिणाम ➤ आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक ➤ शेयर धारकों की सूची ➤ चुनाव के लिये उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकन की जांच ➤ चुनावी विवाद ➤ वोट देने के अधिकारों का निश्चय ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान ➤ परोक्षी

अधिनियम, स्कीम, विनियम और अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र डीबीओडी.सं.बीसी.सं.46 और 47/29/39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी.सं. बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.5.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा9(3एबी) केअनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के लिये चुने गये निदेशकों के लिये फिट और प्रापर मानदंड

शेयरधारकों की सुविधा के लिये विनियमन अधिनियम , अधिनियम, स्कीम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र डीबीओडी.सं.बीसी.सं.46 और 47/29/39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 और डीबीओडी.सं.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.5.2011का संबंधित सारांश संलग्न है.

इस प्रकार निर्वाचित निदेशकों द्वारा 27 जून 2012 से कार्यग्रहण किया माना जाएगा और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 26 जून 2015 तक उस पर बने रहेंगे.

निदेशकों के हित

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ते हैं तो उनको कारोबार की उक्त मद में हित रखने वाला या उससे संबंध रखने वाला माना जाएगा.

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 23.05.2012

निदेशकों का निर्वाचन

संबंधित अधिनियमों, योजना और विनियमों अधिसूचनाओं आदि का सारांश

बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी ऐसा नहीं करेगी -

(ए) अपने शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करना अथवा

(बी) निम्नलिखित को या उनकी ओर से किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करना और अग्रिम देने की वचनबद्धता करना -

- i) अपने किसी निदेशक
- ii) किसी भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या
- iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी (या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में) बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हो, अथवा
- iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो.

2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खण्ड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किन्तु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जायेंगे :

बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की तिथि न हो. यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे.

बशर्ते यह भी कि यदि और जब संबंधित निदेशक चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करता है, वह उपधारा लागू नहीं होगी.

3. उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना वापस नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी.

4. जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो जो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है. उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने उक्त तिथि को अपना पद छोड़ दिया है.

इस धारा की व्याख्या -

ए) "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसके तरीके तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष उल्लेख कर सके.

बी) "निदेशक" से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य.

5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन इस धारा के उद्देश्य से ऋण या अग्रिम है तो यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 :

मताधिकार पर प्रतिबंध : धारा 3(2ई) : केंद्रीय सरकार को छोड़कर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा.

निदेशक मंडल का गठन : धारा 9(3)

धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी :

- i) कुल चुक्ता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अनधिक होने पर एक निदेशक
- ii) कुल चुक्ता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अनधिक होने पर दो निदेशक
- iii) कुल चुक्ता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक होने पर तीन निदेशकों का निर्वाचन केन्द्र सरकार से इतर शेयर धारकों द्वारा किया जाएगा.

कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - धारा 9 (3 ए) :

खंड (एच) के अंतर्गत नामित या उक्त खंड (आई) के अंतर्गत चयनित निदेशक को

- (ए) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हों :-

- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii) बैंकिंग
- iii) सहकारिता
- iv) अर्थशास्त्र

- v) वित्त
- vi) विधि
- vii) लघु उद्योग
- viii) ऐसा अन्य कोई विषय, जिसका विशेष ज्ञान या जिसमें प्राप्त व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करते हों या

(सी) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करते हों।

फिट और प्राप्ति स्थिति

धारा 9(अए):

उप धारा 3 (ए) के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बगैर और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कुछ भी होते हुए, कोई व्यक्ति उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय समय पर सूचित किये गये ट्रेड रिकार्ड, सत्यनिष्ठा एवं अन्य मानदंडों के आधार पर फिट एवं प्राप्ति स्थिति का व्यक्ति न हो।

धारा 9(अबी):

भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3 (एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में इस निर्धारण का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति और आवश्यक या प्रासंगिक समझे जाने वाले ऐसे अन्य मामले भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

किसी निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार - धारा 9(3बी)

जहां रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक की उप धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचित उप धारा (3ए) एवं 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3ए) एवं 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक को निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व - धारा 13(2) :

प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 :

निर्वाचित निदेशकों का सेवाकाल : खण्ड 9(4) :

निर्वाचित निदेशक अपने पद पर तीन वर्ष के लिए रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारण नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता-खण्ड 10 :

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा :

- (ए) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या प्रशमन किया हो, या
- (बी) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो, या
- (सी) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी क्रिमिनल न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो।
- (डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी भी सहायक बैंक में लाभदायक पद धारित करता हो, किन्तु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा की उप धारा (3) के खण्ड (इ) एवं खण्ड (एफ) के अधीन प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों सहित बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित करता हो।

निदेशक के पद का रिक्त होना -खण्ड 11 :

- (1) यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अयोग्यताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थिति रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है और तदुपरान्त वह पद रिक्त हो जाएगा।
- (2) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) या खण्ड (सी) या खण्ड (डी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केंद्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी हो जाएगा।
- (3) जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना-खण्ड 11 ए :

केंद्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित वाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (i) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना -खण्ड 11 बी :

- (1) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।

बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।

(2) उप खण्ड (1) के अंतर्गत यथा स्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा-खण्ड 12(8) :

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह :

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखा हो, चुक्ता पूंजी का दो प्रतिशत से अनधिक शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के अधीन नियुक्त निदेशक है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998 :

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियम 10:

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोड़कर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस की तामील करने और बैंक से संबंधित अन्य सभी मामलों में प्रथम नाम धारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

सामान्य बैठकों में मतदान

विनियम 61 :

- (i) किसी भी सामान्य बैठक में कोई भी संकल्प जिसे बैठक के वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब तक मतदान की मांग न की गई हो, उसका निर्णय हाथ उठाकर सहमति के आधार पर तय किया जाएगा।
- (ii) अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अलावा, सामान्य बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जायेगा।
- (iii) जब तक कि उप विनियम (i) के अंतर्गत मतदान की मांग न की गयी हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किया गया / नहीं किया गया या तो एकमत से अथवा विशिष्ट बहुमत से एवं इस आशय की कोई प्रविष्टि उन बहियों में जिसमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो, वह इस तथ्य के संकल्प के पक्ष या विपक्ष में डाले गये मतों की संख्या के अनुपात के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य होगा।
- (iv) किसी भी संकल्प पर हाथ उठाकर मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व बैठक का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे

सकता है और इस मामले में किसी शेयरधारक अथवा शेयरधारकों द्वारा जो बैठक में स्वयं उपस्थित हों अथवा उनके परोक्षी के माध्यम से जिनके पास बैंक के शेयर धारित हैं, जिनके द्वारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पांचवे भाग से कम नहीं हों, के द्वारा मांग करने पर वह आदेश देगा।

- (v) मतदान की मांग को मतदान करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।
- (vi) स्थगन अथवा बैठक के अध्यक्ष के चुनाव के मामले में मतदान की मांग को तुरंत माना जायेगा।
- (vii) किसी अन्य मामले पर मतदान की मांग को ऐसे समय के भीतर लिया जायेगा जो बैठक के अध्यक्ष के निर्देशानुसार मांग किये जाने से 48 घंटे से अनधिक हो।
- (viii) किसी व्यक्ति के मताधिकार की पात्रता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है, के मामले में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

मतदान में मतपत्र परीक्षक

विनियम 61 ए :

- (i) कभी भी चुनाव किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष चुनाव मेन दिये गये मतों के परीक्षण करने और उसके बाद उनको रिपोर्ट करने के लिये 2 मतपत्र परीक्षक नियुक्त करेंगे
- (ii) चुनाव के परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय किसी मत पत्र परीक्षक को पद से हटाने और इस कारण या किसी अन्य कारण हुई रिक्ति को भरने का अधिकार बैठक के अध्यक्ष के पास होगा।
- (iii) इस विनियम के अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाला एक मतपत्र परीक्षक बैठक में उपस्थित और नियुक्त किये जाने का इच्छुक शेयरधारक (जो बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो) होगा।

मतदान का ढंग और परिणाम

विनियम 61 बी :

- (i) बैठक के अध्यक्ष को मतदान कराने के ढंग को विनियमित करने का अधिकार होगा।
- (ii) मतदान के परिणाम को उस संकल्प पर, जिस पर मतदान कराया गया, बैठक का निर्णय माना जाएगा।

सामान्य बैठकों में निदेशकों का निर्वाचन

विनियम 63 :

- (1) अधिनियम की धारा 9 के अनुच्छेद 3 के खण्ड (i) के अनुसार किसी निदेशक का निर्वाचन केंद्र सरकार के अलावा रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य बैठक में किया जायेगा।
- (2) यदि किसी निदेशक का निर्वाचन सामान्य बैठक में किया जाना हो, तो इस आशय की सूचना बैठक बुलाने की सूचना में दी जायेगी। इस प्रकार के प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियां जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64 :

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अंतर्गत किसी निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों की एक सूची उस रजिस्टर में से तैयार की जायेगी जिसमें से निदेशकों का निर्वाचन किया जाना है।
- (ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उनके लिखित विशिष्ट क्रमांक और उनके शेयरों के पंजीकृत किये जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसकी बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे। इस सूची की प्रतियां बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए गए मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए आवेदन पर निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होगी।

निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का नामांकन

विनियम 65 :

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि,
 - ए) वह बैंक के शेयरधारक के रूप में 100 शेयरों का धारक न हो।
 - बी) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
 - सी) उसके नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियाँ का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया गया हो,
 - डी) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों के हस्ताक्षर नामांकन पर होने चाहिए अथवा इन शेयरधारकों के विधिवत् गठित अटार्नी के हस्ताक्षर होने चाहिए बशर्ते ऐसे किसी शेयरधारक द्वारा नामांकन जो कोई कंपनी हो उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाना चाहिए और जहां ऐसा किया गया हो वहां पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी के द्वारा किया गया नामांकन माना जाएगा।
 - (ई) न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने की गई यह घोषणा नामांकन के साथ संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और उसे अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी तरह से पूर्ण दस्तावेजों के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 दिन पहले कार्य दिवस पर प्राप्त न हो जाए।

नामांकन की संवीक्षा (जांच)

विनियम 66 :

- (i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिन को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और इस पर उसके निरस्त करने का कारण दर्ज कर दिया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार के चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक केवल इसी कार्य के लिए बुलाई गई हो तो यह रद्द हो जाएगी।
- (ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
- (iii) वह निदेशक जिसका चयन किसी रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

चुनाव विवाद

विनियम 67 :

- (i) यदि कोई संदेह अथवा विवाद किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में उठता है जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चयनित माना गया है अथवा चुना हुआ घोषित किया गया है अथवा उसे चुना हुआ घोषित किया जाना है तो निदेशक चुने जाने की वैधता रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रत्याशी होने में रुचि रखता हो अथवा शेयरधारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे इस प्रकार के चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना में चुनाव की वैधता और विवाद अथवा संदेह के सभी आधारों का विवरण देना चाहिए।
- (ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक होंगे जिन्हें अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (बी) और (सी) के अंतर्गत नामित किया गया है।
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति ठीक समझी जाने वाली जांच करेगी और यदि समिति चुनाव विधिमान्य पाती है तब वह घोषित चुनाव की पुष्टि कर देंगी अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधिमान्य नहीं था तब यह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे आदेश देगी और नया चुनाव कराने सहित परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे जाने वाले निर्देश जारी करेगी।
- (iv) इस विनियम के अनुरूप समिति द्वारा पारित किया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों का मताधिकार

मताधिकार का निर्धारण

विनियम 68 :

- (i) अधिनियम के धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अध्यक्षीन सामान्य बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख पर जिसे शेयर धारक रजिस्टर में दर्ज किया गया है ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को हाथ उठाकर एकमत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार है.
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अध्यक्षीन वोट के लिए पात्र प्रत्येक शेयर धारक जो कंपनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो, उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां ऊपर उल्लिखित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का अधिकार होगा. स्पष्टीकरण : इस अध्याय के लिए "कंपनी" से तात्पर्य किसी भी कार्पोरेट निकाय से है.
- (iii) बैंक के शेयर धारक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उसके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त कर सकेंगे. परन्तु किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा.

विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69 :

- (i) कोई शेयरधारक, वह केंद्र सरकार हो अथवा कंपनी एक संकल्प के द्वारा जैसे मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में "विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) केंद्र सरकार की ओर से अथवा कंपनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयरधारक हो, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा. इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नामों में हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केंद्र सरकार/ कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा.
- (ii) बैठक के लिए निर्धारित की गयी तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि न जमा कराने की दशा में कोई भी व्यक्ति न तो किसी बैठक में भाग ले सकेगा और न ही मतदान कर सकेगा.

परोक्षी

विनियम 70:

- (i) कोई परोक्षी उस समय तक वैध नहीं होगी जब कि वह किसी व्यक्ति के होने के मामले में उस व्यक्ति द्वारा स्वयं या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त धारक होने पर रजिस्टर में प्रथम स्थान पर अंकित व्यक्ति या द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा

हस्ताक्षरित न हो या किसी निगमित निकाय के मामले में उसके लिखित रूप में प्राधिकृत अटार्नी या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

कोई परोक्षी लिखित किसी शेयरधारक जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त हस्ताक्षरित माना जायगा यदि उस पर उसका निशान उस पर लगाया गया हो और उसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एस्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित हो.

- (ii) कोई परोक्षी उस समय तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टॉप न लगे हों और मुख्तारनामे या किसी अन्य प्राधिकार की प्रति के साथ जिसके अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर किये गये हो की एक प्रति या उस मुख्तारनामे या किसी अन्य प्राधिकार की किसी नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रति, जो बैंक के पास पहले से ही जमा और पंजीकृत हो, बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करादी जाय
- (iii) प्रपत्र "बी" में न होने पर किसी परोक्षी का लिखित वैध नहीं होगा.
- (iv) बैंक के पास हमा कोई परोक्षी लिखित अंतिम व अप्रतिसंहरणीय होगी.
- (v) कोई परोक्षी लिखित विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों को दिये जाने पर एक से अधिक फार्म न भरा जाय.
- (vi) इस विनियम के अंतर्गत परोक्षी प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति उस बैठक में व्यक्तिशः वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिस बैठक के लिये वह परोक्षी प्रदत्त हो.

यूनियन बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी नियुक्त नहीं किया जायगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं.47/29.39.001 दिनांक 1 नवंबर, 2007 और डीबीओडी सं.95/29.39.001/2010-2011 दिनांक 23 मई, 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न प्रकार अधिसूचित किया है :

कोई भी नामांकन इस प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त की गयी नामांकन समिति द्वारा "फिट एव प्रापर" स्थिति बताए बिना विधिमान्य नहीं होगा. यह नामांकन, नामांकन समिति को प्रत्याशियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हता, विशेषज्ञता एवं क्षेत्र अनुभव, ट्रेक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने वाले होने चाहिए ताकि समिति प्रत्याशियों के "फिट एवं प्रापर" स्थिति का निर्णय कर सके. किसी प्राधिकारी / नियामक एजेंसी से प्राप्त प्रतिकूल सूचना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से दिवालियेपन या ऋण की चूक की सूचना संबंधित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए "अनफिट एवं इम्प्रापर" बना देगी. (अधिसूचना का पूरा पाठ बैंक की वेबसाइट में निवेशक संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of UNION BANK OF INDIA will be held on **Tuesday, 26th June, 2012** at 10.30 A.M. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:

To elect **THREE** Directors from amongst shareholders of the Bank other than Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the “the Regulation Act”), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the “Regulations”) and Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as ‘RBI Notification’) by passing the following resolution-

“RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank and that they shall assume office from 27th June, 2012 and hold office until the completion of a period of three years from the date of their assumption of office as Directors.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(D. Sarkar)

Place : Mumbai
Dated : 23.05.2012

Chairman & Managing Director

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India. As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of the Bank on Thursday, 21st June, 2012.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any

body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of the Bank on Thursday, 21st June, 2012.

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS- CUM -BALLOT PAPER PASS:**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

The portion of the Ballot paper Pass shall be surrendered at the venue of the meeting to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

5. CUT-OFF DATE:

As announced vide notice dated 15th May, 2012, published in the newspapers on 16th May, 2012, **Friday, 25th May, 2012 is the Cut-Off Date** for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to Nominate, Contest and Vote for the election of Three Directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the notice.

6. LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS:

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Cut-Off Date i.e., Friday, 25th May, 2012 will be available for purchase at Head Office of the Bank at Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021, from Monday, 04th June, 2012 onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of ₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of **'Union Bank of India'** payable at Mumbai.

7. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

8. PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL / RTA as on 25.05.2012, shall be entitled to participate i.e. Nominate, Contest and Vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 25.05.2012, the Cut-Off date, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him / her subject to overall cap for voting as prescribed under section 3(2E) of the Act.

9. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 65 and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No.BC. No. 46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts,

nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on **Friday, 25th May, 2012** being the Cut-Off Date for participating in the election;
- (b) as on **Monday, 11th June, 2012** (the last date for receipt of nominations) he is not disqualified to be a Director under the Act/Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;
- (c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai -400 021 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- (d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of Nomination and Declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.
- (e) The Nomination Forms and Declaration Form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in)

10. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope and superscribed "Nomination for Shareholder Director - EGM 2012" to the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai -400 021, together with connected documents, complete in all respects, on a working day **not less than fourteen days** before the date fixed for the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e., 5.00 p.m. on **Monday, 11th June, 2012** failing which, the nominations are liable to be rejected.

11. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- (i) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Tuesday, 12th June, 2012**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.
- (ii) Nominations shall also be subjected to determination of their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification.
- (iii) If there are only three valid nominations for the three vacancies to be filled-in by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will stand cancelled and the candidates shall assume office on 27th June, 2012.
- (iv) If valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes shall be elected and their names will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers. They will assume office on 27th June, 2012.
- (v) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

12. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do at any time prior to closing hours of the Bank, i.e. by 5.00 pm on Monday, June 25, 2012.

13. VOTING RIGHTS:

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act at present, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If there is any change in voting rights as per the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act after the issue of notice, the voting rights would be reckoned as per the Act prevalent as on the date of the meeting.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date, i.e., Friday, 25th May, 2012**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

14. POLL PROCESS ON 26th June, 2012:

The Voting for election of directors **will not be on the basis of show of hands** but shall be done by Poll by means of secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 1.30 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 25th May, 2012, subject to overall cap in terms of Section 3 (2E) of the Act.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box (es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman & Managing Director.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

15. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the meeting.

16. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS:

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address/Email address/Bank Details/Dividend Mandate, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.

Unit: Union Bank of India
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Marol, Andheri(East),
Mumbai – 400 093.
Tel.:022- 66712151-60
Fax:022- 66712230
Email: ubiinvestors@dfssl.com

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF THREE SHAREHOLDER DIRECTORS

• RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

The public shareholding in the Bank stands at 45.65% and in terms of Section 9(3)(i) of the Act, the Bank is required to elect three Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

Shri Arun Kumar Nanda, Shri S. Ravi and Shri M. S. Sriram were elected as Directors from amongst shareholders other than the Central Government at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 22nd June 2009. Shri Arun Kumar Nanda resigned as Director w.e.f. 28th November, 2011 and Shri S. Ravi and Shri M. S. Sriram would complete their term on 22nd June, 2012.

With a view to fill the vacancies as stated above, the shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in relevant Act, the Scheme, the Regulations and the RBI Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of vacancy in the office of elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 61A Regulation 61B Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Scrutineers at Poll ➤ Manner of taking poll and result thereof ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No.DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 are annexed hereto.

A Director so elected shall assume office with effect from 27th June, 2012 and will hold office for a period of three years from such assumption i.e. till 26th June, 2015.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

**By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA**



(D. Sarkar)

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 23.05.2012

ELECTION OF DIRECTORS

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS ETC.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India as may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- (a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) “Director” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights - Section 3 (2E):

No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors - Section 9 (3):

- (i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -
 - (I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director
 - (II) More than sixteen per cent but not more than thirty-two percent of the total paid-up capital, two Directors
 - (III) More than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves.

Special Knowledge in certain fields – Section 9(3A)

The Directors to be nominated under clause (h) or elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:-

- i. agriculture and rural economy,
- ii. banking,
- iii. co-operation,
- iv. economics,
- v. finance,
- vi. law,
- vii. smallscale industry,
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Fit and Proper Status:

Section 9(3AA):

Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may inform from time to time in this regard.

Section 9(3AB) :

The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Right of RBI to remove a director – Section 9(3B):

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and 3(AA), it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and 3 (AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy – Section 13 (2):

Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director – Clause 9 (4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualifications from being elected as a Director of the Bank – Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court or an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors – Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director – Clause 11 A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director – Clause 11B:

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.

- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors – Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act).

Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998

EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

VOTING AT GENERAL MEETINGS

Regulation 61:

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

SCRUTINEERS AT POLL

Regulation 61A:

- (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
- (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
- (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

MANNER OF TAKING POLL AND RESULT THEREOF

Regulation 61B:

- (i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.
- (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

DIRECTORS TO BE ELECTED AT GENERAL MEETINGS

Regulation 63:

- (1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other

than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank.

- (2) Where an election of Director to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

LIST OF SHAREHOLDERS

Regulation 64:

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Regulation 65:

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
- (a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank;
- (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
- (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
- (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

Regulation 66:

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

ELECTION DISPUTES

Regulation 67:

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

DETERMINATION OF VOTING RIGHTS

Regulation 68:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
- Explanation- for this chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

VOTING BY DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE

Regulation 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

PROXIES

Regulation 70:

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.

- (ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed. or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No.BC NO.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No.47/29.39.001 dated 1st November, 2007 and DBOD No.BC No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011.

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the 'Fit and Proper' status with regard to educational qualification, experience and field expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board. (complete text of the notification is available on the website of the bank under the head Investor Relations)

नामांकन प्रपत्र
(शेयरधारक द्वारा)
(विनियमावली का विनियम 65 (डी) देखें)

सीरियल नं. :

प्रति,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

निदेशकों का निर्वाचन

प्रिय महोदय,

दिनांक _____, 2012 की आपकी नोटिस के संदर्भ में, मैं _____ शुक्रवार
25 मई, 2012 (चुनाव में भाग लेने की रिकार्ड तिथि) को प्रत्येक ₹10/- के _____ शेयर यूनियन बैंक का
शेयरधारक, एतद्वारा मंगलवार दिनांक 26 जून, 2012 को रामा वाटुमल आडिटोरियम, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई -
400020 में प्रात आयोजित बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/
पत्नी/श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

_____ को बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसरण
में बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए नामित करता हूं.

शेयरधारक का नाम			
शेयरधारक के हस्ताक्षर			
शेयरों की संख्या			
रजिस्टर फोलियो क्र.		डीपी आइडी	
		क्लायंट आइडी	
(यदि डिमैटीरियालाइज्ड नहीं हैं)		(यदि डिमैटीरियालाइज्ड हैं)	
स्थान			
दिनांक			

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया गया है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ संबंधित निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों) लगायी जानी चाहिए.
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षरों का तथा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध उनके हस्ताक्षरों का मिलान होना आवश्यक है.
- ऊपर का कोई कालम रिक्त होने पर या उसमें दी गयी सूचना गलत पाये जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जायगा.

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

Serial No. _____

To
The Chairman & Managing Director
Union Bank of India
Union Bank Bhavan
239, Vidhan Bhavan Marg
Nariman Point
Mumbai-400 021

NOMINATION FOR ELECTION OF A DIRECTOR

Dear Sir,

With reference to your Notice dated _____, 2012, I _____ a
shareholder of Union Bank of India holding _____ equity shares
of ₹ 10/- each as on Friday, **the 25th May, 2012** (being the Cut-Off Date considered for participating in the election), do hereby
nominate Shri/Smt. _____ son / daughter / wife of _____
_____ residing at _____

for being elected as a Director of Union Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i)
of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of the Bank to be held on **Tuesday, the 26th June, 2012** at Mumbai.

Name			
Signature			
No. of Shares			
Regd. Folio No		DP ID No.	
		Client ID No	
(If not dematerialised)		(if dematerialised)	
Place			
Date			

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agents of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमावली का विनियम 65 देखें)

मैं _____ आत्मज श्री/श्रीमती _____
(निवासी) _____ एतद्वारा इस बात की पुष्टि करता / ती हूँ कि

- ए) निर्वाचन में भाग लेने की कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार दिनांक 25 मई, 2012 को मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रु.10/-मूल्य के _____ इक्विटी शेयर हैं और मैं चुने जाने पर अपने कार्यकाल की समाप्ति तक कम से कम 100 इक्विटी शेयर रखे रहूंगा.
- बी) *मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग अथवा _____ (जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिये उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव है और मैं संबंधित अधिनियम की धारा 9 उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कामगारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ / करती हूँ और प्रमाण स्वरूप मैं इसके साथ संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ / करती हूँ और
- सी) मैं _____ से _____ क्रमांक का नामांकन स्वीकार करता हूँ / करती हूँ और
- डी) मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने का / की इच्छुक हूँ और
- ई) मैं, अधिनियम, योजना, विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूँ और
- एफ) मैं किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ.
- जी) मैं अपने व्यक्तिगत व्यौरे संलग्न करता हूँ, जो कि मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं और
- एच) मैं इस घोषणा के उपरांत इसमें दी गयी सभी संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, की स्थिति में बैंक को यथाशीघ्र सूचित करने एवं बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ.

शेयरधारक का नाम			
शेयरधारक के हस्ताक्षर			
शेयरों की संख्या			
रजिस्टर फोलियो क्र.		डीपी आईडी	
		क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटोरियलाइज्ड नहीं हैं)		(यदि डिमैटोरियलाइज्ड हैं)	
स्थान			
दिनांक			

उक्त घोषणापत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये हैं.

नाम : _____

दिनांक : _____

मोहर सहित हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एश्वोरेंस रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर.

* जो लागू हो उसे चिन्हित करें.

DECLARATION
(BY THE CANDIDATE)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of Shri/Smt. _____, a
resident of _____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹ 10/- each of the Bank as on **Friday, 25th May, 2012**, i.e., the Cut-Off Date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected; and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, **or** farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____; and
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Union Bank of India; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and
- f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- g. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete; and
- h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name			
Signature			
No. of Shares			
Regd. Folio No		DP ID No.	
		Client ID No	
(If not dematerialised)		(if dematerialised)	
Place			
Date			

The above declaration was signed before me.

Name : _____

Date : _____

Signature with Seal

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or _____ (Union Bank of India or any nationalised bank.)

* Tick whichever is applicable

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

व्यक्तिगत सूचना घोषणा व वचन पत्र बैंक का नाम : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यहां पासपोर्ट
आकार का
फोटो चिपकाएं

उम्मीदवार द्वारा घोषणा व वचन पत्र (यथा दिनांक _____ संलग्नकों सहित)		
I उम्मीदवार के व्यक्तिगत ब्यौरे		
ए	पूरा नाम पिता नाम (पूर्ण)	
बी	जन्म तिथि	
सी	शैक्षिक योग्यता सूचना के समर्थक प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां लगायें	
डी	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव	
ई	स्थायी पता	
एफ	वर्तमान पता	
जी	ई-मेल पता/ टेलीफोन नंबर(लैंड लाइन) टेलीफोन नंबर (मोबाइल)	
एच	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (एक प्रति संलग्न करें) आयकर सर्किल/प्रभाग का नाम और पता जहां व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल किये जाते हों	
आई	संबंधित ज्ञान और अनुभव बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3-ए) देखें	
जे	बैंक के निदेशक पद के लिए कोई अन्य सुसंगत सूचना.	
II उम्मीदवार के सुसंगत संबंध		
ए	बैंक से जुड़े हुए रिश्तेदारों (यदि कोई हों)की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए देखें)	
बी	उन संस्थाओं की सूची जिनमें उनके हित निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3)(ए) और धारा 300 देखें)	
सी	उन वर्तमान एवं प्रस्तावित संस्थाओं की सूची जिनमें बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) के तात्पर्य में उनके उल्लेखनीय हित हों.	
डी	उस बैंक का नाम जिसमें वे निदेशक मंडल का सदस्य रह चुके हों/हों (उस अवधि का विवरण दें जिसमें वह उस पद पर रहे हों)	
ई	बैंक से उनके तथा/या II(बी) एवं (सी) में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा इस समय उपयोग की जा रही निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित सुविधाएं, यदि कोई हों.	
एफ	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें उपर्युक्त II(बी) और (सी) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या संस्थाएं गत समय में बैंक या किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता रहे हों.	

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

NAME OF THE BANK: **UNION BANK OF INDIA**

Affix
Passport
Size Photo
Here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2012		
I	Personal details of Candidate	
a	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
b	Date of Birth	
c	Educational Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
d	Relevant Background and Experience	
e	Permanent Address	
f	Present Address	
g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
h	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9 (3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of Candidate	
a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड		
ए	संबद्ध व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हों.		
ए	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो तो उसका ब्यौरा या क्या किसी समय उसको किसी प्रोफेशन/व्यवसाय में उसके प्रवेश पर रोक लगायी गयी है.	
बी	यदि उम्मीदवार और/या ऊपर II(बी) और (सी) में सूचीबद्ध किसी संगठन के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए कोई मुकदमा लंबित है या चलाया गया था या पहले कभी दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्यौरा	
सी	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाये गये या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा	
डी	क्या उम्मीदवार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत वर्णित अयोग्यताएं लागू होती हैं ?	
ई	क्या सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा उम्मीदवार या ऊपर II(बी) और (सी) में सूचीबद्ध संगठनों के विरुद्ध जांच की गयी है	
एफ	क्या उम्मीदवार किसी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर/विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है.	
जी	क्या उम्मीदवार पर किसी समय सेबी, इरडा, डीसीए, भा.रि.बैं., फेमा, एमसीए, सिबिल आदि जैसे नियामकों से कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुई है. (हालांकि, किसी उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर विनियामकों द्वारा पारित ऐसे आदेशों और निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया हो या पूर्णतः निरस्त कर दिया गया हो तथापि, उन परिस्थितियों में उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि वापसी/निरस्तीकरण गुण-अवगुण के आधार पर न होकर समय सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी आदि जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो. विनियामक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी होने और अपील/न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने पर उसका उल्लेख किया जाए.)	
V मद क्रमांक I से III से संबंधित कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और कोई अन्य सूचना जो 'फिट व प्रापर' निर्णीत करने के लिए सुसंगत समझी जाए.		
<p style="text-align: center;">वचनपत्र</p> <p>मैं _____ आत्मज/आत्मजा /पत्नी श्री _____</p> <p>पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गयीं सूचनाएं मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व संपूर्ण हैं. मैं बैंक में अपनी नियुक्ति के बाद ऊपर दी गयी सूचनाओं से संबंधित सभी घटनाओं की जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देते रहने का वचन देता हूँ.</p> <p>मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले प्रसंविदा विलेखों को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ.</p>		
<p>स्थान :</p> <p>दिनांक :</p> <p style="text-align: right;">उम्मीदवार के हस्ताक्षर</p>		
<p>1. स्थान पर्याप्त न होने पर कृपया क्रमानुसार संदर्भ सहित संलग्नक लगायें</p> <p>2. प्रत्येक पृष्ठ (संलग्नक सहित) पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं.</p>		
नामांकन समिति के सदस्यों की टिप्पणी		
समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान
दिनांक

III	Records of professional achievements	
a	Professional achievements relevant	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Companies Act 1956?	
e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

UNDERTAKING

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____
confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief is true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.
I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :

Date :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

परोक्षी फार्म (फार्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाय)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)
डी.पी.आई.डी.क्र.
ग्राहक आईडी क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)
शेयरों की संख्या

मैं/हम _____ निवासी _____
_____ जिला _____ राज्य _____ शेयरधारक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का/के शेयरधारक एतद्वारा
श्री / श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ अथवा उनके न
होने पर श्री / श्रीमती _____ निवासी _____
_____ जिला _____ राज्य _____ को मंगलवार दिनांक 26 जून, 2012 को प्रातः 10.30 बजे रामा

वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में अपनी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/ करती/करते हैं/हैं.

दिनांक _____, 2012 को हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी
टिकट
लगाएं.

परोक्षी का हस्ताक्षर

प्रथम शेयरधारक/ एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश :

- परोक्षी का लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह ;
ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा या उसके अटॉर्नी द्वारा विधिवत् लिखित प्राधिकृत करते हुए हस्ताक्षरित हो.
बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
सी) निगमित निकाय के मामले में इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो वह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत होना चाहिए.
- परोक्षी निम्नलिखित के साथ
ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, असाधारण सामान्य बैठक के कम से कम चार दिन पूर्व यथा गुरुवार 21 जून, 2012 को कार्य समाप्ति अर्थात 5.00 बजे तक या उससे पूर्व निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
- परोक्षी का कोई भी लिखत विधिवत् स्टैप के बिना वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाय.
- परोक्षी के लिखत को निष्पादित करनेवाला शेयरधारक इस लिखत से संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PROXY FORM (FORM "B")

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No.
Client ID No. (if Dematerialised)
No. of shares

I / We _____ resident/s of _____
_____ in the district of _____ in the state of _____
being a shareholder / shareholders of Union Bank of India hereby appoint Shri / Smt. _____
_____ resident of _____ in the district of _____ in
the state of _____ or failing him, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district
of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the
Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on **Tuesday, 26th June, 2012** at 10:30 A.M.
at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 and at any adjournment
thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on **Thursday, 21st June, 2012**.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.
- An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास व मतदान पत्र पास

असाधारण सामान्य बैठक : दिनांक मंगलवार, 26 जून 2012 प्रातः 10.30 बजे

स्थान : रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी.कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्च गेट, मुंबई- 400020

उपस्थिति पर्ची

(निहित स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाय)

शेयरधारक /परोक्षी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)		डीपी आईडी तथा क्लायंट आईडी (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
उपस्थित शेयरधारक /परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान साथ रखा जाय)

असाधारण सामान्य बैठक : दिनांक मंगलवार, 26 जून 2012 प्रातः 10.30 बजे

शेयरधारक /परोक्षी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)		डीपी आईडी तथा क्लायंट आईडी (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
उपस्थित शेयरधारक /परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारक / परोक्षी अथवा शेयरधारक के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें. तथापि प्रवेश आवश्यकतानुरूप सत्यापन / जांच के अध्वधीन होगा. प्रवेश पास -मतदान पत्र हिस्सा शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि को वापिस कर दिया जायगा जिसे वे बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखेंगे. मतदान पत्र पास हिस्सा मतदान पत्र प्राप्त करने के लिये दिया जायगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

मतदान पत्र पास

(वैलेट पेपर जारी करने के लिए पोलिंग काउंटर पर सुपुर्द किया जाय)

असाधारण सामान्य बैठक : दिनांक मंगलवार, 26 जून 2012 प्रातः 10.30 बजे

शेयरधारक /परोक्षी / प्रतिनिधि का नाम			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)		डीपी आईडी तथा क्लायंट आईडी (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
उपस्थित शेयरधारक /परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: Tuesday, 26th June, 2012 at 10:30 A.M.

Place: Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present			

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021 .

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date: TUESDAY, 26th June, 2012, 10:30 A.M.

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate attendance slip- cum-Entry pass-cum-Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered at the Polling counters to get Ballot Paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING Date: TUESDAY, 26th June, 2012, 10:30 A.M.

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present			



बुक - पोस्ट
Book - Post

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाए :
मेसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम.आई.डी.सी. मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

If undelivered, Please return to :
M/s. DATAMATICS FINANCIAL SERVICES LTD.
Unit : Union Bank Of India
Plot No. B 5, Part B,
Cross Lane. MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai 400 093.

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with